आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 777/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

मैसर्स रेलीगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 7th फ्लोर, मेक्स हाऊस, ब्लॉक ए, डॉ. झा मार्ग, ओखला फेज 111, ओखला इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, न्यू दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री मनरूप सिंह झाझरिया पुत्र श्री बाना राम सिंह,
   पताः– ए–41, कीर्ति नगर, टोंक रोड़, जयपुर।
2. श्रीमती अनिलता सिंह पत्नी श्री सतवीर सिंह,
   पताः– 185, पदमावती कॉलोनी, किंग्स रोड, निर्माण नगर, जयपुर।
   एवं प्लॉट नं. ए–41, कीर्ति नगर, कमल एण्ड कम्पनी के सामने, टोंक रोड़, जयपुर।
3. डेजर्ट हेरिटेज रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक श्री मनरूप सिंह, श्री प्रशांत सिंह एवं श्रीमती मीनू सिंह,
   पताः– प्लॉट नं. ए–41, कीर्ति नगर, कमल एण्ड कम्पनी के सामने, टोंक रोड़, जयपुर।
4. श्रीमती मीनू सिंह पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह,
   पताः– प्लॉट नं. ए–41, कीर्ति नगर, टोंक रोड, जयपुर।
   एवं प्लॉट नं. ए–41, कीर्ति नगर, कमल एण्ड कम्पनी के सामने, टोंक रोड, जयपुर।
5. श्री प्रशांत सिंह पुत्र श्री मनरूप सिंह ,
   पताः– प्लॉट नं. ए–41, कीर्ति नगर, टोंक रोड़, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :–

1. श्री रवि कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 20.12.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 12.10.2010 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री प्रशांत सिंह के स्वामित्त्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. ए–41, कीर्ति नगर, कमल एण्ड कम्पनी के सामने, टोंक रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 300 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 70,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.07.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 05 अगस्त, 2016 को सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 70,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 43,45,400.80/– रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 27.07.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। 13 (2) के नोटिस के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा उठाये गए आक्षेपों का प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा निस्तारण कर दिया गया है। तत्पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री प्रशांत सिंह के स्वामित्त्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. ए–41, कीर्ति नगर, कमल एण्ड कम्पनी के सामने, टोंक रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 300 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पावन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 20.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर